न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 94/2020 **दायर तारीख :–** 16-07-2020

1. कैलाश चन्द
2. प्रहलाद सहाय

पुत्रान नानू उर्फ नाथूलाल जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थी

2. गैंदी देवी पत्नि नानू उर्फ नाथूलाल
3. ग्यारसी देवी पत्नि घनश्याम
4. पवन पुत्र घनश्याम
5. महेश पुत्र घनश्याम

समस्त जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सीमांकन पत्थरगढी एवं सीमा निश्यचकरण

उपस्थित : श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 25-3-21

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बागावास चौरासी के खाता संख्या 61 के खसरा नम्बर 1179/0.01, 1180/0.33, 1181/0.57 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार के आदेश क्रमांक–भू0अ0/सीमाज्ञान/प.18/2020/3980–82 दिनांक 25.06.2020 की पालना में दिनांक 04.07.2020 को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान भी करवा लिया। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम बागावास चौरासी के खाता संख्या 61 के खसरा नम्बर 1179/0.01, 1180/0.33, 1181/0.57 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर का सीमाकंन, पत्थरगढी एवं सीमा निश्यचकरण मय पुलिस इमदाद किए जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम बागावास चौरासी खाता संख्या 61 संवत् 2075–78, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 04.07.2020, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बागावास चौरासी आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम बागावास चौरासी के खाता संख्या 61 के खसरा नम्बर 1179/0.01, 1180/0.33, 1181/0.57 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीगण की आराजी से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार के आदेश कमांक–भू0अ0/सीमाज्ञान/प.18/2020/3980–82 दिनांक 25.06.2020 की पालना में दिनांक 04.07.2020 को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान भी करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)
सत्यमेव जयते

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित भूमि वाके ग्राम बागावास चौरासी के खसरा नम्बर 1179/0.01, 1180/0.33, 1181/0.57 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.3.21 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)